प्रेस विज्ञप्ति
21.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.08.2025 को चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल को गिरफ्तार किया है। शरद चंद्र तोशनीवाल को 20.08.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, साइबराबाद द्वारा दर्ज तीन प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने भोले-भाले निवेशकों को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का झांसा देकर धोखाधड़ी की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम' के नाम और तरीके से निवेशकों को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के बहाने लालच दिया और बदले में डिस्काउंट किए गए इनवॉइस पर आधारित रिटर्न का वादा किया, लेकिन उनकी निवेशित राशि वापस नहीं की। अमरदीप कुमार इस घोटाले का मास्टरमाइंड था और उसने निवेशकों से जमा राशि प्राप्त करने के लिए फाल्कन इनवॉइस ऐप विकसित किया था। ईडी की जाँच से पता चला कि वास्तव में, इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कोई कारोबार नहीं किया गया था और आरोपियों ने निवेशकों से लगभग 792 करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि शरद चंद्र तोशनीवाल मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के गठन के बाद से ही इसके वैधानिक लेखा परीक्षक थे। उन्हें मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड में 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिजनेस' के नाम पर किए गए धोखाधड़ी वाले लेनदेन की पूरी जानकारी थी। शरद चंद्र तोशनीवाल अमरदीप कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कई संस्थाओं के वित्त का प्रबंधन कर रहे थे। जांच में पता चला है कि शरद चंद्र तोशनीवाल ने इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिजनेस से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को कई कंपनियों में निवेश करने में अमरदीप कुमार की सहायता की थी। रेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, रेट हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, आरडीपी वर्कस्टेशन प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक घी प्राइवेट लिमिटेड। पीओसी को वैध बनाने में अपनी सेवाओं के लिए, शरद चंद्र तोशनीवाल ने खुद अपने रिश्तेदारों और बेनामी के नाम पर उक्त कंपनियों में शेयर हासिल किए। शरद चंद्र तोशनीवाल बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के विभिन्न संस्थाओं को पीओसी हस्तांतरित करने के बदले नकदी की व्यवस्था करने में भी शामिल थे। वह पीओसी के हस्तांतरण के बदले 14.81 करोड़ रुपये की नकदी की व्यवस्था करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे और इस प्रकार पीओसी को छिपाने में उनकी सक्रिय भूमिका थी।

ईडी ने पहले इस मामले में 18.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं और मुख्य आरोपी अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार को गिरफ्तार किया था।

आगे की जांच जारी है।